कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड़, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2552233 **ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in**

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/ 115–588/ 1428 रायपुर, दिनांक 10/06/2016

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़
छत्तीसगढ़

गंभीर

विषयः– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act. 1980 of 26.520 Ha. of Forest Land to Construct Railway Line for Spur of East Rail Corridor from Kharsia to Gurda & Gharghoda to Gare Pelma distance of 38 (10+28) km (approx) in Raigarh District to be used for freight & Passenger service-regarding.**
– **पंजीयन क्रमांक FP/CG/RAIL/ 12523 / 2015**

संदर्भः – मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 957/ दिनांक 06.06.2016
– कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/ विविध/ 115–356/ 1230 दिनांक 19.05.2016

= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर से अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत पुनः निम्न कमियां पाई गई हैः–

1. प्रस्ताव के में दर्शित रकबा 26.52 हे. का वन अधिकार प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
2. ग्राम सभा की सत्यापित प्रतियां संलग्न नहीं है। अनुभाग स्तरीय समिति के प्रतिवेदन का कार्यवाही विवरण भी संलग्न करें।
3. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 54 (ए) संलग्न टोपोशीट नक्शा वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।
4. भाग 3 की अनुशंसा में अनुशंसित / नहीं अनुशंसित दोनो कहा है (पृष्ठ – 129)।

यह शासन का विशेष प्राथमिकता का प्रस्ताव है एवं इसकी नियमित समीक्षा हो रही है इसके बावजूद प्रस्ताव 3 बार वापस हो चुका है एवं बार–बार अपूर्ण प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वन मंडल कार्यालय में प्रस्ताव के तकनीकी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मात्र आवेदक संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव उसी स्वरूप में प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार
प्रस्ताव 4 प्रतियों में मूलतः

10-6-16
(वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–588/ 1429 रायपुर, दिनांक 10/06/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
– वृत्त कार्यालय में भी प्रस्ताव का विधिवत परीक्षण किए बिना अग्रेषित किया जा रहा है जो खेदजनक है।
2. **कलेक्टर**, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।
3. **वन मंडलाधिकारी**, धरमजयगढ़ वन मंडल, छत्तीसगढ़।
4. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड, द्वितीय तल, सी.एस.आई.डी.सी, कामर्शियल काम्पलेक्स, महादेव घाट रोड़, रायपुरा चौंक, रायपुर, छत्तीसगढ़।
– प्रस्ताव का संज्ञान रखने वाले अधिकारी को ही वन मंडल कार्यालय भेजकर त्रुटिहीन प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करावें। **वर्तमान में किसी भी प्रकार के भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।**

10-6-16
(वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
o/c छत्तीसगढ़